न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी– जीतू सिंह मीणा आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार राजस्व छतरगढ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

शेरूराम पुत्र माडूराम कौम थोरी साकिन बीकानेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 86 आर टी एक्ट

उपस्थित :

02. श्री कुलदीप कस्वां तहसीलदार छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :– 03.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार छतरगढ ने दिनांक 16.09.2020 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि पटवारी पटवार मण्डल गौरीसर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी शेरूराम पुत्र माडूराम कौम थोरी साकिन बीकानेर ने अपनी खातेदारी भूमि 532–500 आरडी के मु.नं. 221/13, 21, 22, 29 में 25.00 बीधा में लगभग 20 पेड काट लिये गये है जो कि बिना किसी सक्षम स्वीकृति के काटे गये है। उक्त काटे गये पेड मौके पर नहीं है जिसकी मौका फर्द हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर अप्रार्थी से जुर्माना वसूली की कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:38 IST
Reason: SelfAttested

सरकार की ओर से तहसीलदार राजस्व छतरगढ का कथन है कि अप्रार्थीगण जानबुझकर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के 20 पेड काटकर विधिविरूद्ध कार्य किया है जो मौके पर नहीं है, अप्रार्थी उन्हे अन्यत्र स्थान पर ले गये। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

धारा 86 के तहत प्रति पेड सौ रूपयें की दर से जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश फरमायें जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, रिपोर्ट तहसीलदार एवं हल्का पटवारी का अवलोकन किया। हम तहसीलदार राजस्व छतरगढ की रिपोर्ट से पूर्णतया सन्तुष्ट है। अप्रार्थीगण द्वारा पेडों को बिना पूर्व अनुमति के काटा गया है। अतः अप्रार्थी शेरूराम पुत्र माडूराम कौम थोरी साकिन बीकानेर से अवैध रूप से कुल काटे गयें 20 पेडों के लिए बतौर जुर्माना 100 रूपयें प्रति पेड की दर से कुल 2000/– रूपयें वसूल कर खजाना राज में जमा करानें के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व छतरगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे एवं एक प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू सिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner